रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2076]	**नई दिल्ली, बुधवार, जून 6, 2018/ज्येष्ठ 16, 1940**
No. 2076]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 6, 2018/JYAISTHA 16, 1940**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2018

का. आ. 2294(अ).—यतः, मै. केरल स्टेट इन्फॉरमे ान टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो राज्य सरकार का एक संगठन है, ने केरल राज्य में ग्राम पन्थीरनकावु एवं नेल्लीकोडे, तालुका कोज्हीकोडे, जिला कोज्हीकोडे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 27 मई 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1217(अ), दिनांक 14 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1222(अ) एवं 12 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2473(अ) द्वारा उपर्युक्त वि ोश आर्थिक जोन में 10.1210 हेक्टेयर, 1.5637 हेक्टेयर एवं 0.4143 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. केरल स्टेट इन्फॉरमे ान टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 0.2832 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः केरल राज्य सरकार ने दिनांक 03 मई, 2018 के पत्र के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

और यतः विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 0.2832 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा **0.2832** हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल **11.8158** हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:—

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	सर्वेक्षण नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	110/2	0.0162
2.	110/2	0.0203
3.	110/2	0.0374
4.	110/2	0.0364
5.	110/2	0.0425
6.	110/2	0.0162
7.	110/2	0.1142 (भाग का 0.2028)
	कुल	**0.2832**
	उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल	**11.8158**

[फा. सं. एफ. 1/13/2010–एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2018

S.O. 2294(E).—Whereas, M/s. Kerala State Information Technology Infrastructure Ltd, a State Government organization, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Village Pantheerankavu and Nellikode, Taluka Kozhikode, District Kozhikode in the State of Kerala;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified areas of 10.1210 hectares, 1.5637 hectares and 0.4143 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification numbers S.O. 1217(E) dated 27th May, 2011, S.O. No. 1222 (E) dated 14th May, 2013 and S.O. 2473(E) dated 12th August, 2013 respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Kerala State Information Technology Infrastructure Ltd has now proposed for de-notification of 0.2832 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Kerala has given its approval to the proposal vide letter dated 3rd May, 2018;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 0.2832 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 0.2832 hectares**, thereby making resultant area as **11.8158 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:—

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Survey No.	Total area in Hectares
1.	110/2	0.0162
2.	110/2	0.0203
3.	110/2	0.0374
4.	110/2	0.0364
5.	110/2	0.0425
6.	110/2	0.0162
7.	110/2	0.1142 (part of 0.2028)
	Total	**0.2832**
	Grand total area of SEZ after above deletion	**11.8158**

[F. No. F.1/13/2010-SEZ]

B.B. SWAIN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.09 11:15:59 +05'30'